न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा – पत्र

उनवान

तुलसीबाई बनाम शिवनारायण

किस्म मुकदमा धारा - 223 मि. नं. .... सन् ....

अभिभाषक अपीलान्ट ~~श्री उत्सल शर्मा~~ श्री हेमन्त मीना अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25-07-22	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट व उनके अभिभाषक को रुक रुक कर तीन बार आवाजे लगवाई गई फिर भी अनुपस्थित रहे। उनके द्वारा रेस्पोडेंटगण को बाद नोटिस तलबाने जारी करने के बाद भी तामील नहीं करवाई गई है। पत्रावली में उक्त अपील के साथ कोई काउन्टर क्लेम पेश नहीं किया गया है। अभिभाषक अपीलांट को रेस्पोडेंट की तामील जरिये नोटिस डाक रजि० ए० डी० करवाये जाने हेतु पूर्व में कई अवसर दिये जा चुके हैं। अतः अनुपस्थित रहने के कारण तथा रेस्पोडेंटगण को तामील नहीं करवाये जाने के कारण पत्रावली अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील–तकमील दाखिल दफ्तर हो।	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

(हस्ताक्षर)

डॉ० अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

26-8-19

2-12-17 रीद

श्री हेमन्त मीणा एडवोकेट द्वारा श्री बजर्ज ... रिपोर्ट पेश

Sd/- Cum RAA KOTA 22-8-19

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी एवं
पदेन भू–प्रबंध अधिकारी कोटा (राज0)

अपील संख्या : /2

1. तुलसी बाई पुत्री श्री रतनलाल जाति मीणा निवारी कवल्दा, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा (राज0)
2. लालराम पुत्र श्री रामनाथ जाति मीणा निवासी–कवल्दा, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा (राज0)

....अपीलान्टगण

बनाम

1. शिव नारायण पुत्र श्री रामनाथ जाति मीणा
2. कैलाशी पुत्री श्री रामनाथ जाति मीणा
3. बच्ची बाई पुत्री श्री रामनाथ जाति मीणा
   निवासीगण–कवल्दा, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा (राज0)
4. महावीर पुत्र श्री रामप्रताप जाति मीणा
5. गोपीचन्द पुत्र श्री रामप्रताप जाति मीणा
6. प्रेम बाई पुत्री श्री रामप्रताप जाति मीणा
7. जगदीश पुत्र श्री रामप्रताप जाति मीणा
8. जानकी बाई पुत्री श्री रामप्रताप जाति मीणा
   निवासीगण–कवल्दा, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा (राज0)
9. द स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा (राज0)

.....रेस्पोडेन्टगण

Continued Page....2.

तुलसी बाई — लालराम

प्रथम अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 14.02.2019,

बउनवान वाद शिवनारायण बनाम रामप्रताप

अन्तर्गत धारा 223 आर.टी. एक्ट

न्यायालय S.D.O मांगरोल

मान्यवर,

अपीलान्ट धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ निम्न आशय की अपील प्रस्तुत करता करता है जिसके संक्षेप मे तथ्य निम्न है :–

1. यह कि रेस्पोडेन्ट क्रम–1, 2, 3 द्वारा खिलाफ अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट क्रम–4 लगायत 9 के एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 आर.टी. एक्ट का प्रस्तुत किया था। जिसमे विवादित खसरा नम्बर 109 रकबा 12 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 114 की रकबा 24 वीघा 6 बिस्वा भूमि वाके ग्राम बालापुरा में स्थित है जिसके केचमेन्ट के बाद नये खसरा नम्वर 609 की रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 715 की रकबा 1.47 हैक्टर, खसरा नम्बर 604 की रकबा 0.69 हैक्टर, खसरा नम्बर 716 की रकबा 1.33 हैक्टर, खसरा नम्बर 618 की रकबा 1.86 हैक्टर हुई, उक्त भूमि पूर्व में मोतीलाल पुत्र देवबक्श के खाते दर्ज थी, मोतीलाल के दो लडके रामनाथ व रामकिशन का भी देहान्त हो चुका है। तथा उक्त आराजी का इन्तकाल संख्या–116 से मृतक मोतीलाल, रामकिशन, रामनाथ के स्थान पर प्रताप पुत्र रामकिशन, कंचन, गुलाब पुत्रिया रामकिशन मोत्या बेवा रामकिशन व रतनलाल, लालाराम पुत्र रामनाथ, वच्ची बाई, कैलाशी बाई पुत्रियां एवं फूमा बेवा रामनाथ का नाम दर्ज करने का आदेश हुआ तथा वर्तमान मे अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट क्रम–4

022/02/18/434

Continued Page....3.

तुलसीबाई

लालाराम